म-सं०–267

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 दिसम्बर, 2014

अग्रहायण 13, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1532/79-वि-1–14-1(क)-22-2014

लखनऊ, 4 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2014)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) यह 20 अगस्त, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 16 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 16 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 12, 18, 21-ख, 21-ग, 21-घ, 21-ङ, 21-च" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 12, 18, 21-ख, 21-ग, 21-घ, 21-ङ, 21-च, 21-छ" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 21-छ का बढ़ाया जाना

3-मूल अधिनियम की धारा 21-च के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"21-छ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ के रूप में की गयी सेवाओं को प्रशासकीय हित के लिये प्रकल्पित रूप में (किसी वित्तीय लाभ के बिना) सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली मौलिक रिक्ति पर समायोजन के पश्चात् सेवाओं में जोड़ा जायेगा। विषय विशेषज्ञ के रूप में संविदा पर की गई सेवाओं की गणना किसी भी दशा में सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये अर्हकारी सेवा में नहीं की जायेगी।"

कतिपय मामलों में विषय विशेषज्ञ के रूप में की गयी सेवाओं की गणना

निरसन और अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2014

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) का अधिनियमन इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों के चयन के लिये एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये किया गया है। राज्य में विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को आमेलित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2006) अधिनियमित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था की गयी थी कि निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत ऐसे विषय विशेषज्ञों को, जो विहित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी अर्हता रखते हों और उसके अन्तर्गत ऐसे विषय विशेषज्ञ भी होंगे जिन्होंने मानदेय प्राप्त किया हो और न्यूनतम दो शैक्षणिक सत्र तक कार्य किया हो और जो 30 सितम्बर, 2006 को कार्यरत थे, उन संस्थाओं में आमेलित किया जायेगा जहाँ अध्यापक के पद पर किसी मौलिक रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो। यह विनिश्चय किया गया कि नई धारा 21-छ बढ़ाकर यह भी व्यवस्था कर दी जाय कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ के रूप में की गयी सेवाओं को प्रशासकीय हित के लिये प्रकल्पित रूप में (किसी वित्तीय लाभ के बिना) सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली मौलिक रिक्ति पर समायोजन के पश्चात्, सेवाओं में जोड़ा जायेगा। विषय विशेषज्ञ के रूप में संविदा पर की गयी सेवाओं की गणना किसी भी दशा में सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये अर्हकारी सेवा में नहीं की जायेगी।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2014 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2014) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्यक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1532(2)/LXXIX-V-1-14-1(Ka)-22-2014

Dated Lucknow, December 4, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 01, 2014:

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARD (AMENDEMENT) ACT, 2014

(U.P. ACT NO. 21 OF 2014)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 20, 2014.

Amendment of section 16 of U.P. Act no. 5 of 1982

2. In section 16 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) *for* the word and figures "sections 12, 18, 21-B, 21-C, 21-D, 21-E, 21-F" the word and figures "sections 12, 18, 21-B, 21-C, 21-D, 21-E, 21-F, 21-G" shall be *substituted*.

Insertion of new section 21-G

3. *After* section 21-F of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:–

Reconing of services rendered as subject expert in certain cases

"21-G. The services rendered as subject expert in private aided Secondary Schools, shall be added to the services after adjustment on substantive vacancy to be filled by direct recruitment in notional way (without any financial gain) for administrative interest. Services rendered by subject expert on contractual basis shall in no way be reckoned as qualifying service for retirement benefits."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 9 of 2014

4. (1) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Ordinance, 2014 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982 (U.P. Act no. 5 of 1982) has been enacted to provide for the establishment of a secondary education services selection board for the selection of teachers in the institutions recognised under the Intermediate Education Act, 1921. With a view to absorbing the persons appointed as subject experts in various secondary schools in the State the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 37 of 2006) was enacted in which it was *inter alia* provided that such subject expert who are working in private aided schools and possessed prescribe educational and training qualifications including the subject experts who have received honorarium and worked for minimum period of two academic sessions and were working on September 30, 2006 shall be absorbed in the institutions where any substantive vacancy in the post of teacher is to be filled by direct recruitment. It was decided to provide also by inserting a new section 21-G that the services rendered as subject expert in private aided secondary schools shall be added to the services after adjustment on substantive vacancy to be filled by direct recruitment in notional way (without any financial gain) for administrative interest. Services rendered by a subject expert on contractual basic shall in no way be reckoned as qualifying service for retirement benefits.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Ordinance, 2014 (U.P. Ordinance no. 9 of 2014) was promulgated by the Governor on August 20, 2014.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S. B. SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० -ए०पी० 709 राजपत्र(हि०)–2014–(1500)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 100 सा० विधायी–2014–(1501)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।